प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी मिलेगा सुविधाओं का लाभ

चर्चा में क्यों?

28 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ देने के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 6 लाख रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद दिये जाएंगे।
- इसी प्रकार, तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 30 हज़ार रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद राशि दी जाएगी। पदकधारकों को ये लाभ 26 जनवरी, 1990 से देय होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/soldiers-decorated-with-tatrakshak-medal-will-also-get-the-facilities-in-the-state